दिनांक 07.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 07/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बांदा/थाना नरैनी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण**
- **21 हजार रूपये नगद आदि**

दिनॉकः 06.09.2021 को थाना नरैनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरही रोड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त राशिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण, 21 हजार रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा व महोबा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बांदा के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राशिद निवासी चमरौडी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण।

2— चोरी के 21 हजार रूपये नगद।

3— 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद आगरा/थाना न्यू आगरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 06.09.2021 को थाना न्यू आगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पोइया घाट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त मुकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा पर हत्या का प्रयास, चोरी धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश निवासी ग्राम गैहचोली थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड़

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 24 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 10 किलोग्राम ताबें का तार आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2021 को थाना ककोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईटीआई के पास से पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1–शंकर 2–कांति 3–नितिन कुमार 4–शिवा 5–धर्मेन्द्र उर्फ सूका 6–दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 24 हजार रूपये नगद, सोने की चैन के टुकड़े, चोरी के 10 किलोग्राम ताबें का तार, 03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शंकर निवासी बीछट सुजानपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

2–कांति निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

3–नितिन कुमार निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

4—शिवा निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

5—धर्मेन्द्र उर्फ सूका निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

6—दीपक कुमार निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—लूट के 24 हजार रूपये नगद।

2—सोने की चैन के टुकड़े।

3—चोरी के 10 किलोग्राम ताबें का तार आदि।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

5—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गाजियाबाद/ थाना मसूरी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.09.2021 की रात्रि थाना मसूरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नाहल झाल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में आरक्षी अरविन्द घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—साबिर 2—नूर इस्लाम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 15 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नूर इस्लाम के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ, हापुड, कमिश्नरेट वाराणसी व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग व अभियुक्त साबिर के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, हापुड व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साबिर निवासी मजीदपुरा जनपद हापुड़

2—नूर इस्लाम निवासी मजीदपुरा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—चोरी के 15 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट के 32 हजार 80 रूपये नगद**
- **लूट/चोरी की 03 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बबुआपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार किया गया।

अन्य तीन अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, लूट के 32 हजार 80 रूपये नगद, लूट/चोरी की 03 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिससे बरामद रूपया, आभूषण, मोटर साइकिल आदि जनपद मऊ व गाजीपुर के थानो में पंजीकृत लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अशोक निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–लूट के 32 हजार 80 रूपये नगद।

3–लूट/चोरी की 03 मोटर साइकिल।

4–03 मोबाइल फोन।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद मथुरा/थाना हाई–वे</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित/ खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.09.2021 को थाना हाई–वे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाकलपुर बम्बा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–असलम उर्फ बच्ची 2–शाकिर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित/ खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त असलम उर्फ बच्ची के विरूद्ध जनपद मथुरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग एवं अभियुक्त शाकिर के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हाई–वे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–असलम उर्फ बच्ची निवासी रूंध थाना खोह जनपद भरतपुर राजस्थान।

2–शाकिर निवासी रूंध थाना खोह जनपद भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी की 02 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 11 जीवित/ खोखा कारतूस।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **04 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 06/07.09.2021 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरानी खण्डहर बिल्डिग में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 05 अभियुक्तों 1—वसीम उर्फ सिगरेट 2—बल्लू उर्फ कामिल 3—लक्ष्मीनारायण 4—सागर 5—फैजान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस 315 बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बब्लू उर्फ कामिल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त फैजान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग व अभियुक्त वसीम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—वसीम उर्फ सिगरेट निवासी मो0केट कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

2—बल्लू उर्फ कामिल निवासी मो0काजीवाडा कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

3—लक्ष्मीनारायण निवासी दनकेला थाना खैर जनपद अलीगढ़।

4–सागर निवासी कृष्ण कॉलोनी कस्बा व थाना खैर जनपद अलीगढ़।

5–फैजान निवासी कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–25 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–04 जीवित कारतूस 315 बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि।

<u>जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 07.09.2021 को थाना पीपरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्गापुर चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमेठी, सुल्तानपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, व गैंगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीपरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–226/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजेश कुमार निवासी 19 गौराबारिक अमहट थाना कोतवाली जनपद सुल्तानपुर, वर्तमान पता–दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल सहित 01 मोटर साइकिल की चेचिस आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2021 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांशीराम कालोनी मोड़ तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—राजा उर्फ राज कुमार 2—आशीष कुमार 3—विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल सहित 01 मोटर साइकिल की चेचिस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजा उर्फ राज कुमार निवासी सर्वोदय नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

2—आशीष कुमार निवासी अंशिका अपार्टमेन्ट के पास, कृष्णानगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

3—विशाल निवासी सर्वोदयनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल सहित 01 मोटर साइकिल की चेचिस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 37 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू बरामद**

दिनांक 07.09.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेहट अड्डे के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—सुहैल 2—फैय्याज 3—मुकर्रम

4—मनोज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 37 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.09.2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 197/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुहैल निवासी सडक दूधली म0 पठान वाला थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2—फैय्याज निवासी सडक दूधली म0 पठान वाला थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3—मुकर्रम निवासी रक्खा कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4—मनोज कुमार निवासी मवीकला थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 37 हजार रूपये नगद।
2—घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू।

एस0टी0एफ0–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29–07–2018 को आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार चल रहे रू0 25,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गनेश प्रसाद एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 05–09–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29–07–2018 को आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार चल रहे रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गनेश प्रसाद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

गनेश प्रसाद पुत्र स्व0 मोहन प्रसाद निवासी ध्रुवपल निकट हिन्दी स्कूल, राधानगर, थाना हीरापुर, जनपद प0 वर्धमान, पश्चिम बंगाल।

बरामदगीः

01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक–

राधा नगर क्रासिंग के पास थाना हीरापुर जनपद प0 वर्धमान (पं0 बंगाल)। दिनांक 05–09–2021

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को आऊट कराने वाले आपराधिक गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में वाराणसी एसटीएफ इकाई के निरीक्षक श्री अनिल सिंह द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि **लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में सम्मिलित फरार**

चल रहे रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी गनेश प्रसाद पश्चिम बंगाल के जनपद पश्चिम वर्धमान में लुक—छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा पश्चिम वर्धमान में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी। दिनांक 05—09—2021 को अभिसूचना संकलन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त गनेश प्रसाद राधा नगर क्रासिंग के पास आने वाला है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा राधा नगर क्रासिंग से गनेश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनलोगों का एक संगठित गैंग है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर जहॉ छपता है वहीं से ये लोग लेकर पेपर को आऊट करा लेते हैं, फिर पहले से तैयार अभ्यर्थियों को एक स्थान पर एकत्रित करके उनको प्रश्नों का उत्तर रटवा दिया जाता है, जिसके बदले में उनसे मोटी रकम वसूली जाती है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा एल0टी0 ग्रेड 2018 की परीक्षा आयोजित की गयी थी। इनके गैंग के अजीत चौहान और अजय चौहान ने अभ्यर्थियों को तैयार कर लिया तथा उनसे 1—1 लाख रूपये एडवान्स लिया था तथा परीक्षा के बाद 11—11 लाख रूपया देने की बात तय हुई थी। विश्वास के लिये अभ्यर्थियों से उनका हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले लिया गया था। इन लोगों का सम्पर्क कोलकता के कौशिक कुमार कर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर छापने वाले ब्लोसिंग स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी प्रेस के संचालनकर्त्ता से था। कौशिक कुमार कर के मुख्य सहयोगी अशोक देव चौधरी, गणेश और रंजीत आदि थे। यही लोग प्रश्नपत्रों को लेकर आते—जाते थे। ये सभी एल0टी0 ग्रेड परीक्षा के एक दिन पूर्व वाराणसी आकर होटल में रूके थे। होटल में ही हिन्दी और सामाजिक विषय के प्रश्नपत्र का उत्तर तैयार कर लिया था। इस परीक्षा के प्रत्येक विषय में 150—150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नपत्र में से मात्र 120 प्रश्नों का ही उत्तर तैयार कर अभ्यर्थियों को रटवा गया था, ताकि कोई अभ्यार्थी पूरा का पूरा प्रश्नपत्र हल कर परीक्षा को टॉप न कर जाये। इससे

रिजल्ट आने पर शक हो जाने की संभावना थी। परीक्षा के एक दिन पहले संबंधित अभ्यर्थियों को यू0पी0 कॉलेज गेट के पास बुलाया गया था और वहीं से सभी अभ्यर्थियों को शैलेन्द्र पटेल के जनपद वाराणसी के थाना चोलापुर क्षेत्रान्तर्गत दसनी गांव स्थित कौशल विकास केन्द्र ले जाया गया था। वहीं पर अगले दिन होने वाली परीक्षा के हिन्दी व सामाजिक विषय का प्रश्नपत्र एवं उसका उत्तर अभ्यर्थियों को रटवा गया। इसके बाद प्रश्नपत्र व उत्तर कुंजी लेकर वहीं पर जला दिया गया था परन्तु अशोक चौधरी ने इसका विडिया चोरी से बना लिया था।

उल्लेखनीय है कि बाद में गैंग के सदस्य अशोक देव चौधरी द्वारा शिकायत करने पर इसकी जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा सम्पादित की गयी तथा ब्लोसिंग स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी प्रेस के संचालनकर्त्ता कौशिक कुमार कर आदि के विरूद्ध दिनांक 28—05—2019 को जनपद वाराणसी के थाना चोलापुर पर मु0अ0सं0 172/2019 धारा 406, 409, 420, 120बी, भादवि व धारा 7,8,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त गनेश प्रसाद फरार चल रहा था। इसके ऊपर जनपद वाराणसी से रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे दिनांक 05—09—2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 06—09—2021 को सी0जे0एम0 न्यायालय प0 वर्धमान (प0बंगाल) में प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 08—09—2021 तक के ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिया गया है।

उपरोक्त अभियुक्त को थाना चोलापुर वाराणसी पर पंजीकृत उक्त मुकदमें में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————